समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VII

अधिघोषणा

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–19 (1) के अधीन)

संख्या– 187/2016-17 (रेलवे) 1472/भू0अ0 गोड्डा दिनांक :– 29/11/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैंती नई बी॰जी॰ रेलवे लाईन निर्माण हेतु **मौजा– चन्दरपुर, थाना नं0– 361, अंचल– गोड्डा**, जिला– गोड्डा में कुल– **0.119** एकड़ यानि ...... हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खंड है, जो मानक माप से कमोवेश **0.119** एकड़ यानि ...... हेक्टेयर है और जो **मौजा– चन्दरपुर, थाना नं0– 361, अंचल– गोड्डा**, जिला–गोड्डा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12	63	निजी	धानी I	0.119	0.00695	प्रमोद ठाकुर, पिता– स्व0 पोदीस ठाकुर, साकिन– नेपुरा	62	दियारा	पड़रिया	63 अंश
2						0.00695	घनश्याम ठाकुर उर्फ कुमोद, पिता– स्व0 पोदीस ठाकुर, साकिन– नेपुरा				
3						0.0129	चुल्हो देवी, पति– स्व0 ज्योतिष ठाकुर, साकिन– नेपुरा				
4						0.00606	चन्द्रेश्वरी ठाकुर, माता– स्व0 जया देवी, साकिन– नेपुरा				
5						0.00606	श्याम ठाकुर, माता स्व0 जया देवी, साकिन– नेपुरा				
6						0.0129	सुनिती कुमारी, पिता– स्व0 घन्नु ठाकुर, साकिन– नेपुरा				
7						0.00586	अवधेश ठाकुर, पिता– स्व0 चन्दर ठाकुर, साकिन– नेपुरा				
8						0.00586	मन्नु ठाकुर, पिता– स्व0 चन्दर ठाकुर, साकिन– नेपुरा				
9						0.00586	छोटेलाल ठाकुर, पिता– स्व0 चन्दर ठाकुर, साकिन– नेपुरा				
10						0.0129	रंगलाल ठाकुर, पिता– स्व0 धनेश्वर ठाकुर, साकिन– नेपुरा				
11						0.0129	मनकलाल ठाकुर, पिता– स्व0 धनेश्वर ठाकुर, साकिन– नेपुरा				
12						0.0238	अजय ठाकुर, पिता– स्व0 मनेश्वर ठाकुर, साकिन– नेपुरा				
				कुलः–	0.119	0.1190					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम–30/2013 की धारा–15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

मौजा– चन्दरपुर, थाना नं0– 361, अंचल– गोड्डा, जिला– गोड्डा में कुल– **0.119** एकड़ यानि ..... हेक्टेयर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार* नीचे दिये गये है :–

क्रमांक	पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का हकदारी का लाभ	हकदारी/उपबंध
1	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 50000.00 (पचास हजार) रू0 पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।

उपरोक्त भूमि चिन्हित एवं मापित है, इस जमीन में इच्छुक/हितबद्ध सभी व्यक्ति, स्वंय अथवा प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक– 30.12.2018 से 06.01.2019 तक कार्यालय अवधि– 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन दो प्रति में दे सकते है एवं प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे।

अपने दावे का प्रकार और क्षतिपूर्त्ति के लिए किसी दावे एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित दावे या धारा– 12 के तहत जमीन के मेजरमेंट से संबंधित आपत्ति/दावा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बॅटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि के दावा के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश की प्रति देंगे।

28/11/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1472/भू0अ0 दिनांक :– 29/11/18।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिघोषणा का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

28/11/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1472/भू0अ0 दिनांक :- 29/11/18।

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, गोड्डा को निदेश है कि उक्त अधिघोषणा जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

29/11/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 1472/भू0अ0 दिनांक : 29/11/18

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/18

उपायुक्त,
गोड्डा।